प्रेस नोट संख्या- 35

दिनांक 20.10.2024

पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर गोतस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व गोवध करने के विभिन्न उपकरण व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.10.2024 को उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली मय हमराही के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के क्षेत्र में भ्रमणशील थे। भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी करने वाले कुछ लोग नोती दुबे का पुरवा मजरे कठौरा में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के पीछे खण्डहर के पास छुट्टा जानवरों को पकड़कर गोकशी करने की नीयत से इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना पर थाना कमरौली पुलिस द्वारा 02 टीमें बनाकर मौके पर पहुंच कर घेरा बंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया तभी बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया जिसमें एक बदमाश घायल होकर गिर पड़ा तथा दूसरा बदमाश मौके से भागने का प्रयास किया जिसको पुलिस टीम द्वारा दौड़ा कर पकड़ लिया गया। घायल बदमाश के पास पहुंच कर देखा गया तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश से नाम पता पूछने पर अपना नाम अरशद उर्फ सोनू पुत्र मुकर्रम अली उर्फ ढोढ़े निवासी किला (इस्लामगंज) मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी व दूसरे ने अपना नाम हसीब उर्फ लादेन पुत्र नसीम उर्फ करीम निवासी दक्खिनगांव मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी बताया। दोनों अभियुक्तों को समय करीब 11.15 बजे रात्रि में पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके से 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, गोकशी करने के विभिन्न उपकरण 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद चापड़, तराजू-बांट, 01 पैकेट पॉलीथीन, रस्सी आदि व 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुयी। तत्पश्चात घायल अभियुक्त अरशद उर्फ सोनू को उपचार हेतु पुलिस बल के साथ सीएचसी जगदीशपुर भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कमरौली पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग आज यहां छुट्टा गोवंशी पशुओं को पकड़ कर गोकशी करने के लिए आये थे।

गिरफ्तारी का स्थान- निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज ग्राम नोती दुबे का पुरवा मजरे कठौरा के पास खण्हर **दिनांक-** 19.10.2024 **समय-** 11:15 बजे रात्रि

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अरशद उर्फ सोनू पुत्र मुकर्रम अली उर्फ ढोढ़े निवासी किला (इस्लामगंज) मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र 28 वर्ष।
2. हसीब उर्फ लादेन पुत्र नसीम उर्फ करीम निवासी दक्खिनगांव मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी 34 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. गोवध करने के विभिन्न उपकरण (01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद चापड़, तराजू-बांट, 01 पैकेट पॉलीथीन, रस्सी आदि)
3. 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 पी 1558।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 158/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी।
2. पल्सर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 पी 1558 (207 एमवी एक्ट)।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप सिंह थाना कमरौली जनपद अमेठी।
3. हे0का0 सुरेश मिश्रा थाना कमरौली जनपद अमेठी।
4. हे0का0 श्याम बहादुर थाना कमरौली जनपद अमेठी।
5. का0 भानु प्रताप सिंह थाना कमरौली जनपद अमेठी।
6. का0 राहुल कुमार थाना कमरौली जनपद अमेठी।
7. का0 दीपक शुक्ला थाना कमरौली जनपद अमेठी।
8. का0 कुंवर सिंह राजपूत थाना कमरौली जनपद अमेठी।
9. का0 नीरज कुमार थाना कमरौली जनपद अमेठी।

अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अरशद उर्फ सोनू

1. मु0अ0सं0 520/17 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 99/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 321/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 169/21 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 166/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 100/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 301/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।
8. मु0अ0सं0 340/23 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी।

अभियुक्त हसीब उर्फ लादेन –

1. मु0अ0सं0 19/12 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 412/12 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 225/13 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 310/13 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 656/14 धारा 363,504,506,354ख भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 234/15 धारा 323,354ए,506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द एससी/एसटी थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
7. मु0अ0सं0 618/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना बछरावां जनपद रायबरेली।
8. मु0अ0सं0 559/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बछरावां जनपद रायबरेली।
9. मु0अ0सं0 12/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी।